जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/प्रवेश/2022/4966 दिनांक 21/1/2022

//कार्यालयीन आदेश//

समस्त छात्रावासों के वार्डन की बैठक जोकि दिनांक 20.09.2021 को कुलसचिव महोदय, के कक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

1. विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावासों की फीस एक समान रखने पर विचार किया गया एवं छात्रावास में रहने वाले छात्र–छात्राओं की फीस दो किश्तों में अथवा छः–छः माह में जमा करनी होगी।
2. छात्रावासों के छात्र–छात्राओं की फीस प्रति सेमेस्टर एवं वार्षिक एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य करने पर विचार किया गया।
3. छात्रावासों में छात्रों के भोजन व्यवस्था हेतु मेस की सुविधा उपलब्ध होगी। भोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क फीस छात्रों को प्रदान करनी होगी।
4. यदि किसी छात्रको प्रोजेक्ट ट्रेनिंग पर जाना ह तो जाने से पहले छात्र/छात्राओं को 10 दिवस पूर्व सूचना देनी होगी एवं जो छात्र/छात्राऐं चिकिसिय अवकाश पर जायेंगे उनको मेडीकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा तभी उनको मेस से शुल्क का समायोजन होगा।
5. छात्रावासों के छात्र–छात्राओं के भोजन की गुणवत्ता के परीक्षण करने हेतु एक टीम गठित की जावेगी।
6. छात्रावासों में छात्रों की समस्याओं के निराकरण हेतु हॉस्टल वार्डन से संपर्क किया जा सकेगा।
7. समस्त छात्रावासों में अवंतिका गैस पाईप लाईन लगाने एवं गैस का भुगतान मेस का संचालन/खाना बनाने वाली फर्म के द्वारा किया जावेगा।
8. विश्वविद्यालय के छात्रावासों में यदि किसी छात्र–छात्रा का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसे विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराये जाने एवं छात्रों को ले जाने के लिए एम्बूलेंस 24 घण्टे उपलब्ध रहेगी।
9. कोरोना गाईड लाईन के अनुसार छात्र–छात्राओं को हॉस्टल में कमरा दिये जाने का निर्णय लिया गया।
10. सभी हॉस्टलों में 01 माली एवं 02 सफाईकर्मी आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से रखे जाने का निर्णय लिया गया।
11. चारों हॉस्टलों में कैमरे एवं वाय–फाय की व्यवस्था श्री संजय बरतरिया ई–गर्वनेंस सेल को निर्देशित किया गया।
12. प्रत्येक हॉस्टल वार्डन को आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 20000/–(बीस हजार रूपये) अग्रिम राशि स्वीकृत की जाने की सहमति प्रदान की गई।
13. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पूर्व नॉन कोअपरेटिव खाता के बारे में विचार किया गया है एवं उसके संचालन हेतु दो वार्डनों को संयुक्त रूप से अधिकृत किये जाने की सहमति प्रदान की गई।
14. पूर्व में समस्त चीफ वार्डन एवं छात्रावासों के समस्त वार्डन विश्वविद्यालय यंत्री की उपस्थिति में रख–रखाव एवं अन्य विभिन्न कार्यो को करने हेतु विचार किया गया था। उनको यंत्री विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जावेगा।

15. कोरोना काल में पूर्व में 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की छात्र–छात्राओं की रूम रेंट की फीस माफ की गई थी। इसी तारतम्य में 01.04.2021 से 15.09.2021 तक की भी कोरोना काल में हॉस्टल बंद होने के कारण उक्त अवधि की रूम रेंट की फीस माफ करने का निर्णय लिया गया।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्रो0 के0एस0ठाकुर चीफ वार्डन जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
2. डॉ0 मनोज शर्मा वार्डन आर्यभटट् छात्रावास जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
3. डॉ0 निमिशा जादौन वार्डन लक्ष्मीवाई छात्रावास, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. डॉ0 जर्नादन कुमार तिवारी वार्डन रूप सिंह छात्रावास जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. डॉ0 स्वर्णा परमार वार्डन मृगनयनी छात्रावास जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि,

1. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. सहा./उपकुलसचिव (प्रशासन) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति जी के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
4. यंत्री जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कुलसचिव के निजी सहायक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
6. श्री संजय बरतरिया आई.टी. सेल प्रभारी वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।

सहा/उपकुलसचिव(प्रशासन)